HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1362/2025
CNR: RJHC020585422025 | URN: SOSA / 2667U / 2025

In

S.B. Criminal Appeal No-3338/2024

1. Talim Son Of Israj, Aged About 24 Years, Resident Of Upla Sat Tan Chandoli Police Station Sadar Alwar District Alwar (Raj) (Presently Confined In Central Jail Alwar)
2. Mustak Son Of Noor Mohammad, Aged About 21 Years, Resident Of Nainapur Police Station Badoda Mev, District Alwar (Raj) (Presently Confined In Central Jail Alwar)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Victim, R/o

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 880/2025
CNR: RJHC020351542025 | URN: SOSA / 1690U / 2025
In
S.B. Criminal Appeal No-1118/2025

Sb Urf Iffideen Son Of Sallu, Aged About 24 Years, Resident Of Nainapur Police Station Baroda Mev District Alwar (Raj) (Presently Accused Appellant Is In Central Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री शिव कुमार जांगिड़
श्री साबिर अली
मि. मोनिका शेखावत
श्री मनीष गुप्ता

For Respondent(s) : श्री श्रीराम धाकड़, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

Reserved on :: 14/08/2026

Pronounced on :: 19/08/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 क्रम संख्या–1, अलवर राजस्थान** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**63/2023, सरकार बनाम तालीम वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **22.11.2024** के विरूद्ध ये पृथक–पृथक अपीलें व सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **बीस वर्ष के कठोर** कारावास से दण्डित किया गया है ।

दोनों अपीलें व सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि अपीलार्थीगण विचारण के दौरान कुछ समय अभिरक्षा में रहे हैं तत्पश्चात् वे जमानत पर रहे हैं । वर्तमान में वे निर्णय की दिनांक 22.11.2024 से लगातार अभिरक्षा में हैं। उनका निवेदन है कि पीड़िता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध स्पष्ट तौर पर साक्ष्य नहीं दी है । गवाह पी.ड.4

समयदीन पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा गवाह अरसीद को अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं करवाया गया है । प्रकरण में लिया गया नमूना परीक्षण हेतु समय पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है । गवाहों की साक्ष्य में विरोधाभास है । उनका यह भी निवेदन है कि अपीलों में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य है, प्रस्तुत अपीलों के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जावें।

अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं :–

1. Kattavellai @ Devakar Vs. State of Tamilnadu 2025 INSC 845

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि पीड़िता की जन्म दिनांक 11.06.2006 रही है तथा घटना दिनांक 19.02.2023 की रही है । पीड़िता द्वारा तीनों अपीलार्थीगण के विरूद्ध दुष्कर्म किए जाने की साक्ष्य दी है । चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर ममता पी.ड.16 ने पीड़िता की जांच की है तथा पीड़िता के नमूने लिए हैं। डी.एन.ए. रिपोर्ट अपीलार्थीगण मुस्ताक व तालीम के विरूद्ध रही है । उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है जिसके एवज में उसकी अभिरक्षा अवधि बहुत कम हुयी है । अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जावें ।

हमने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की साक्ष्य पी.ड.1, चिकित्सकीय साक्ष्य, डी.एन.ए.रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्य व अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया। पीड़िता के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य व प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र इस स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण **1. तालीम पुत्र इसराज, 2. मुस्ताक पुत्र नूर मोहम्मद व 3. एस.बी. उर्फ इफीदीन पुत्र सल्लू** की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाते हैं ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/reserve